

प्रेस नोट दिनांक 11.06.2025

थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

■ □ थाना चकरघट्टा पुलिस द्वारा पैदल हांककर बध हेतु बिहार ले जा रहे 5 राशि गौवंश बरामद करते हुए 03 शातिर गोतस्करों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- आदित्य लांगे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गोतस्करी के प्रभावी रोकथाम लगाने व गोतस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में दिगम्बर कुशवाहा, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व आशुतोष, क्षेत्राधिकारी नौगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकरघट्टा अवधेश नारायण मय हमराह द्वारा दिनांक 10.06.2025 को समय लगभग 21.36 बजे मुखबीर की सूचना के आधार पर दानूगढा, थाना चकरघट्टा के पास से 05 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए गोतस्करी करने वाले गिरोह के 03 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार गये गोतस्करों की पहचान-

1. राकेश पाल पुत्र स्व0 पलकधारी निवासी ग्राम नरकटी थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली उम्र 53 वर्ष
2. बहादुर कोल पुत्र पथरूकोल निवासी ग्राम मझगावा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र 45 वर्ष
3. रामकेश कोल पुत्र लालधारी कोल निवासी ग्राम मझगावा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र 45 वर्ष के रूप में हुयी।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि आस पास के गांवों से चोरी करके व छुट्टे पशुओं को एकत्रित कर जंगल के रास्ते परसिया, दानूगढा जमसोत जंगल के रास्ते होते हुये झरिया थाना चैनपुर जिला भुआ कैमूर बिहार होते पश्चिम बंगाल ले जाकर ऊंचे दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व धारा 305,317(2) BNS थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली का अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- (i) राकेश पाल पुत्र स्व0 पलकधारी निवासी ग्राम नरकटी थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली उम्र 53 वर्ष
- (ii). बहादुर कोल पुत्र पथरूकोल निवासी ग्राम मझगावा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र 45 वर्ष
- (iii). रामकेश कोल पुत्र लालधारी कोल निवासी ग्राम मझगावा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण- 05 राशि गोवंश (3 राशि गाय, 02 राशि बछड़ा)

गिरफ्तारी का दिनांक व समय-

दिनांक 10.06.2025

समय 21.36 बजे

स्थान दानूगढा

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष अवधेश नारायण थाना चकरघट्टा चन्दौली
2. उ.नि. वीरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी मझगावा थाना चकरघट्टा चन्दौली
3. हे0का0 सुधीर कुमार सिंह थाना चकरघट्टा चन्दौली
4. हे0का0 अनूप राय थाना चकरघट्टा चन्दौली
5. हे0का0 अनिल कुमार सिंह थाना चकरघट्टा चन्दौली
6. हे0का0 अभिषेक कुमार पाल थाना चकरघट्टा चन्दौली

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

□ थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (IPS) अपर पुलिस अधीक्षक सदर व राजीव सिसोदिया क्षेत्राधिकारी पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर आलमपुर नहर पुलिया के पास से एक अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान पंचम गौड़ स्व० छेदी गौड़ निवासी मुगलचक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के रूप में हुई। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 212/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

पंचम गौड़ स्व० छेदी गौड़ निवासी मुगलचक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान व समय का विवरण-

गिरफ्तारी का दिनांक 11.06.2025

समय 02.15 बजे

स्थान आलमपुर नहर पुलिया के पास।

बरामदगी का विवरण- एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.सं. 0212/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी / बरामदगी में करने वाली पुलिस टीम-

नि० विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ०नि० अनिल कुमार यादव चौकी प्रभारी जफरपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

हे०का० रोशन यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली